Technical Supervisor (CSSD) ②

Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.	belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	100 per cent. by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman 2. Incharge of the concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member 3. Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No. A-11018/18/2019-MH II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीकी पर्यवेक्षक (केंद्रीय स्टेरलाइज़ सेवा विभाग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीकी पर्यवेक्षक (केंद्रीय स्टेरलाइज़ सेवा विभाग), (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी पर्यवेक्षक (केंद्रीय स्टेरलाइज़ सेवा विभाग)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपये)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300/-रुपये) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीशियन (केंद्रीय स्टेरलाइज़ सेवा विभाग) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिन्होंने विभाग द्वारा विहित केंद्रीकृत स्टेरलाइज़ेशन सेवा विभाग में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्रों/स्वायत्त या कानूनी संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी : (क)(i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एससी. ; (ii) न्यूनतम बीस बिस्तरों वाले अस्पताल से केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन तकनीक में दो वर्ष कार्य करने का अनुभव; या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या अस्पताल से केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन सेवा में कम से कम नौ मास की अवधि का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा के साथ न्यूनतम बीस बिस्तरों वाले किसी अस्पताल से केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन तकनीक में एक वर्ष कार्य करने का अनुभव । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से

ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष (2) केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन सेवा विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के प्रभारी अधिकारी - सदस्य (3) उपनिदेशक (प्रशासन), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य (4) उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष (2) उपनिदेशक (प्रशासन), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य (3) उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11018/02/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th July, 2022

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Supervisor (Central Sterilise Service Department), in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Technical Supervisor (Central Sterilise Service Department), (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** —No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Supervisor (CSSD)	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B',Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400–112400/-).	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by Promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Technician (CSSD) in Dr. RML Hospital in level 5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300/-) with six years of regular service in the grade and has successfully completed two weeks training in centralized sterilisation service department as prescribed by the department. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including Short Term Contract): (a)(i) Officers of the Central Government/State Government/ Union Territories /autonomous or statutory organisation/Public Sector Undertakings/Universities or recognised Research Institutions : (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 of the Pay Matrix (Rs.	**Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-** (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital , New Delhi -Chairman (2) Officer in-Charge of CSSD, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital , New Delhi -Member (3) Deputy Director (Administration), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member (4) Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:-** (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Chairman (2) Deputy Director (Administration), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member (3) Deputy Director, Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

29200-92300); and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) B.Sc. from a recognised University or Institute; (ii) Two years working experience in central sterilization techniques from a minimum twenty bedded hospitals; or Certificate or Diploma of at-least nine months duration in Central Sterilisation Services from an Institute or Hospital recognised by the Central Government or State Government or Union Territory alongwith one year working experience in Central Sterilisation Techniques from a minimum twenty-bedded hospitals. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-11018/02/2019-MH II]

GANESH KUMAR, Under Secy.